

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
(दिनांक 03/05/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड की अध्यक्षता में दिनांक 03/05/2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नोएडा एसईजेड (SEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ) (23/09/2008 के पत्र के संदर्भ में वाणिज्य विभाग के नामांकित)।
2. श्री सुनील कुमार, अधीक्षक, सीमा शुल्क, नोएडा आयुक्तालय।
3. श्रीमती गरिमा मिश्रा, सहायक प्रबंधक, डीआईसी (DIC), नोएडा (प्रधान सचिव, उद्योग, यूपी सरकार का प्रतिनिधि)।
4. श्री चमन लाल, सहायक डीजीएफटी (DGFT), कार्यालय अतिरिक्त डीजीएफटी, सीएलए (CLA), नई दिल्ली।
5. श्री दीपक कुमार, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।
6. श्रीमती मीनाक्षी नारंग, प्रबंधक, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा।

B. इसके अलावा, (i) नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ), (ii) अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, एनएसईजेड (NSEZ), (iii) प्रकाश चंद उपाध्याय, सहायक विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ), (iv) सत्य विजय वर्मा, एईई (AEE), यूपीपीसीबी (UPPCB), नोएडा और (v) राजीव कुमार, जेई, यूपीपीसीएल (UPPCL), नोएडा भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह सूचित किया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/इकाईयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए: -

D. **कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:**

(1) दिनांक 03/04/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

दिनांक 03/04/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई सन्दर्भ था और न ही कोई आपत्ति। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 03/04/2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) ट्राइडेंट कॉर्प - स्वीकृति पत्र में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना।

2.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री पंकज गुप्ता अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि अनुमोदन समिति ने मैसर्स पन्ना ज्वैलरी से प्लॉट संख्या जेसी-2 और 3, एनएसईजेड (NSEZ) में भवन के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है, लेकिन कुछ औपचारिकताओं के कारण पहले इकाई धारक के अंत में, अंतिम निकास अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए उन्हें एक साल का नुकसान हुआ और इकाई को चालू करने के उनके प्रयासों में देरी हुई। उपरोक्त को देखते हुए, वे भण्डारण जैसी अन्य गतिविधियों की खोज कर रहे थे जब तक कि उनके पास भवन का कब्जा नहीं था। यह कहा गया था कि निर्माण पर प्रस्ताव में देरी होगी क्योंकि दो साल पहले अनुबंध किए गए थे और नमूने की प्रक्रिया को कब्जे में लेने की आवश्यकता होगी।

2.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि संवर्धक के पास भण्डारण का कोई पिछला अनुभव नहीं था क्योंकि मूल प्रस्ताव निर्माण के लिए था।

2.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ मामले को स्थगित कर दिया

- (i) भण्डारण करने का अनुभव
- (ii) भण्डारण कहां से शुरू किया जाएगा क्योंकि उन्होंने किसी भी स्थान के लिए आवेदन नहीं किया है
- (iii) उत्पादन इकाई के डीसीपी (DCP) को इतना समय क्यों लगाना चाहिए

(3) डॉल्फिन अप्पारेल - स्वीकृति पत्र में अतिरिक्त अधिकृत संचालन शामिल करना।

3.1 श्रीमती दीप्ति वर्मा, प्रबंधक और इकाई की अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुईं और प्रस्ताव की व्याख्या की। अनुमोदन समिति ने पाया कि व्यापार वस्तु 'समाप्त भेड़ चमड़े की खाल' के खिलाफ इकाई ने 41120000 और 41071900 के रूप में एचएस कोड जमा किया है। हालांकि, भेड़ के चमड़े की त्वचा का आईटीसी (एचएस) कोड 41071900 सही नहीं है क्योंकि यह गोजातीय या घोड़े के जानवरों की खाल का है। इसके अलावा कच्चे माल का एचएस कोड 'इलास्टिक फैब्रिक' यानी 56042090 भी मौजूद नहीं है।

3.2 श्रीमती वर्मा ने कहा कि वे भैंस जैसे गोजातीय पशुओं की चमड़े की खाल का भी निर्यात करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि वे कच्चे माल 'इलास्टिक फैब्रिक' के सही **ITC (HS)** के साथ प्रस्तावित वस्तुओं की संशोधित सूची प्रस्तुत करेंगे।

3.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, "(i) पॉल्यूरिथेन (पीयू) गारमेंट्स जैसे पतलून, स्कर्ट, टॉप, ड्रेस (62044390, 62045300) (62044390, 62045300) 18000 पीसी/वर्ष), (ii) तैयार भेड़ चमड़े की खाल का व्यापार (41120000)" को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन सही एचएस कोड जमा करने, लीज रेंट के भुगतान और आगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

- (i) इकाई विनिर्माण और व्यापारिक गतिविधियों के लिए निर्धारित एक अलग क्षेत्र बनाए रखेगी और विनिर्माण और व्यापारिक गतिविधियों के लिए एनएफई (NFE) के अलग-अलग रिकॉर्ड/खाते बनाए रखेगी।

(ii) विनिर्माण गतिविधि और व्यापारिक गतिविधि के लिए एनएफई (NFE) स्थिति अलग-अलग देखी जाएगी।

(iii) इकाई एसईजेड (SEZ) अधिनियम, 2005 की धारा 2(जेड) में दी गई सेवाओं की परिभाषा का पालन करेगी और व्यापारिक गतिविधियों के लिए सभी भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त किए जाएंगे।

(iv) वि. व्या. नी (FTP) के तहत निर्यात के लिए 'प्रतिबंधित' किसी भी उत्पाद के निर्यात के लिए, इकाई को निर्यात करने से पहले उस विशिष्ट उत्पाद के लिए डीजीएफटी (DGFT) के कार्यालय से 'निर्यात लाइसेंस' प्राप्त करना होगा।

(4) लक्ष्मण ओवरसीज - भण्डारण के लिए अतिरिक्त मद शामिल करना।

4.1 श्री विपुल अग्रवाल, मालिक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

4.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, 'एचएस 8524 - (फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉड्यूल, टच-सेंसिटिव स्क्रीन शामिल है या नहीं)' के तहत अतिरिक्त भण्डारण सामान को शामिल करने के लिए मैसर्स लक्ष्मण ओवरसीज के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

(5) अर्शी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड - अध्याय 85 के लिए डीटीए बिक्री पर स्पष्टीकरण और अनुमति।

5.1 श्री राघव झुनझुनवाला, निदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि 03/04/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के दौरान, उन्होंने चैप्टर 85 के तहत माल के लिए भी डीटीए बिक्री की अनुमति मांगी थी। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि डीटीए बिक्री उनके ग्राहक के व्यवसाय शुरू करने के लिए एक शर्त है।

5.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को ग्राहकों के विवरण के साथ डीटीए बिक्री के लिए आईटीसी (एचएस) कोड के साथ विशिष्ट उत्पादों पर औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ) के कार्यालय को इसकी जांच करने और फाइल पर निर्णय लेने का अधिकार दिया।

(6) टेक महिंद्रा लिमिटेड (इकाई-1) - पूंजीगत वस्तुएं सीमा में वृद्धि और प्रक्षेपण में संशोधन और प्रदर्शन की निगरानी।

6.1 श्री राघव राजू और श्री अंकुर रोहिल्ला, इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

6.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, पूंजीगत वस्तुएं सीमा में वृद्धि और अनुमानों में संशोधन के मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड (इकाई-1) के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अनुमोदन समिति ने आगे इकाई को वर्ष 2021-22 के लिए एपीआर (APR) और 348.22 रुपये (एपीआर 2020-21 के अनुसार) के लंबित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति की स्थिति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

(7) टेक महिंद्रा लिमिटेड (इकाई-IV) प्लॉट नंबर 131-133, एनएसईजेड (NSEZ) के खिलाफ पांच गुना पट्टा किराया लगाने की छूट के लिए।

7.1 श्री राघव राजू और श्री अंकुर रोहिल्ला, इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री राजू ने बताया कि उन्होंने नोएडा प्राधिकरण में भवन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिनांक 04/07/2022 को आवेदन प्रस्तुत कर दिया है। उन्होंने आगे बताया कि वे पट्टा किराया का पांच गुना भुगतान करने के लिए तैयार हैं, हालांकि, उन्होंने उक्त अवधि के लिए पांच गुना पट्टा किराया पर ब्याज माफ करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, उन्होंने अनुरोध किया कि नोएडा प्राधिकरण को प्रमाण पत्र के लिए आवेदन की तिथि यानी 04/07/2022 को अपनी परियोजना के पूरा होने की तिथि माना जाए।

7.2 अनुमोदन समिति ने इस मामले पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, परियोजना के पूरा होने की तारीख सहित मामले में कानूनी राय प्राप्त करने का निर्देश दिया। आगे इसने विकास आयुक्त के कार्यालय को फाइल पर मामले की जांच करने और तदनुसार निर्णय लेने का अधिकार दिया।

(8) मैसर्स एटॉमिक नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड को एसडीएफ (SDF) संख्या के-10, एनएसईजेड (NSEZ) में अपनी संपत्ति और देनदारियों से बाहर निकलने और हस्तांतरण के लिए शास इन्फॉर्मेशन एंड क्वालिटी इंजीनियरिंग सर्विसेज

8.1 शास इन्फॉर्मेशन एंड क्वालिटी इंजीनियरिंग सर्विसेज के पार्टनर श्री हिमाद्री बोरपुजारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

8.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर उचित विचार-विमर्श के बाद नियम 74ए एसईजेड नियम, 2006 के संदर्भ में मैसर्स शास इन्फॉर्मेशन एंड क्वालिटी इंजीनियरिंग सर्विसेज को एसडीएफ (SDF) संख्या के-10, एनएसईजेड सहित अपनी संपत्ति और देनदारियों सहित बाहर निकलने और मैसर्स एटॉमिक नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरण के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी देने का फैसला किया। यह अनुमोदन (i) मैसर्स शास इन्फॉर्मेशन एंड क्वालिटी इंजीनियरिंग सर्विसेज द्वारा बाहर निकलने की औपचारिकताओं को पूरा करने; (ii) लागू स्थानांतरण शुल्क का भुगतान और (iii) अंतरणकर्ता की संपत्ति और देनदारियों को लेने के संबंध में बदली द्वारा एक उपक्रम प्रस्तुत करने के अधीन हैं।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(सुरेंद्र मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त

(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त